



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2011

पौष 01, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/12/73-का-2/2011 टी०सी०-IV

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि-89

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन)
नियमावली, 2011

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

सक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

नियम 2 का
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

1-पत्नी या पति,

2-पुत्र

3-अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ,

4-मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

(एक) पत्नी या पति;

(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र,

(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ,

(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी,

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV, dated December 22, 2011:

Miscellaneous

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV

Dated Lucknow, December 22, 2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (NINTH AMENDMENT) RULES, 2011

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Ninth Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column I below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely :—

COLUMN-I

Existing Clause

(C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :—

- (i) wife or husband;
- (ii) sons;
- (iii) unmarried and widowed daughters;
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

(C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :—

- (i) wife or husband;
- (ii) sons/adopted sons;
- (iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;

(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.